

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *134
जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है
राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति की निगरानी

*134. श्री अरुण नेहरू:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वाहनों को निर्धारित सीमा से अधिक गति से चलाए जाने का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वाहनों को निर्धारित सीमा से अधिक गति से चलाए जाने के मामलों में बार-बार दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ज्यादातर मामलों में दुपहिया वाहन चालक दोषी होते हैं, यदि हां, तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिक से अधिक लोगों का पता लगाने और इस प्रकार होने वाली मौतों को कम करने में सहायक कोई व्यापक नीति बनाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

“राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति की निगरानी” के संबंध में श्री अरुण नेहरू द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *134 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (एमवी अधिनियम, 1988) वह प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से देश में सड़क परिवहन को विनियमित किया जाता है। संसद द्वारा पारित और 9 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा इसे पहली बार व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अन्य बातों के साथ-साथ, यातायात उल्लंघन के लिए शास्तियों में अत्यधिक वृद्धि सहित तेज गति से वाहन चलाने पर दंड, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा प्रवर्तन आदि प्रावधान शामिल हैं।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 109 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2018 जारी किया, जिसके अनुसार वाहन निर्माता 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) के संबंध में प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 112 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार विभिन्न श्रेणी की सड़कों पर मोटर वाहनों के वर्ग के संबंध में अधिकतम गति निर्धारित करती है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183 में कहा गया है कि जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसके द्वारा नियोजित है या उसके नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति से उसे चलाएगा, वह जुर्माने से, जो निम्नलिखित रीति में, अर्थात्:—

- (i) जहां ऐसा मोटर यान हल्का मोटर यान है, वहां ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु दो हजार रुपए तक हो सकेगा;
- (ii) जहां ऐसा मोटर यान मध्यम माल यान या मध्यम यात्री यान या भारी माल यान या भारी यात्री यान है, वहां ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु चार हजार रुपए तक हो सकेगा; और
- (iii) इस उपधारा के अधीन दूसरे या किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे चालक की चालान अनुज्ञप्ति धारा 206 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्ध कर ली जाएगी।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136 (क) राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, किसी राज्य के भीतर ऐसी सड़कों या किसी शहरी नगर में, जिसकी जनसंख्या ऐसी सीमाओं तक है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का प्रावधान करती है। तदनुसार, सरकार ने अगस्त, 2021 में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और नगरों में उच्च जोखिम और अधिक सघनता वाले गलियारों पर सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम 167क प्रकाशित किया है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का नियम 167 अधिसूचित किया है, जिसमें चालान जारी करने और उसका भुगतान करने की प्रक्रिया दी गई है। सरकार ने एक "ई-चालान पोर्टल" विकसित किया है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2022 में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी श्रेणी की सड़कों पर सड़क प्रयोक्ता श्रेणी के संदर्भ में हुई कुल 1,68,491 सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में से 74,897 मौतें दोपहिया वाहनों से संबंधित हैं।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर एक बहुआयामी कार्यनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न पहल की गई हैं, जिसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं। जबकि केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है और इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

“राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति की निगरानी” के संबंध में श्री अरुण नेहरू द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *134 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण:-

(1) शिक्षा:

- i. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सड़क सुरक्षा प्रचार व्यवस्था योजना लागू की गई है।
- ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
- iii. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना।

(2) इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

- i. सभी राजमार्गों का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
- ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।
- iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए नामित किया गया है।
- iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
- v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।
- vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।
- ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपार्यों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान: -

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल हैं] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। नियमों में 31.10.2022 और 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रेपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य।

xii. 01 अप्रैल, 2025 से एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

(3) प्रवर्तन

- i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है।
- ii. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए गए। ये नियम भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।
- iii. 10 जून, 2024 को सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी की है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

- i. ऐसे नेक नागरिक (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए नियम प्रकाशित किए गए हैं, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है।
- ii. हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।
- iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।
- iv. सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी और असम में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है।
